तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर अपील संख्या 10/2022 बउनवान छैलकंवर बनाम मूलसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अज अदालत की मूल अपील संख्या 18/2004 जो अंतिम बहस की स्टेज पर दिनांक 06.01.2006 को मुकर्र थी। उक्त नियत दिनांक को वकील अपीलांट का स्वास्थ्य खराब होने से स्वयं उपस्थित नहीं हो सकी व न ही वकील अपीलांट से सम्पर्क कर सकी। हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करने से कुछ समय पूर्व अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रश्नगत अपील की आगामी तारीख पेशी के बारे में पूछा तो अधिवक्ता द्वारा अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में वर्ष 2006 में खारिज होना बताया। अपीलांट को उनके अधिवक्ता के द्वारा अपील खारिज होने की सूचना समय पर नहीं दी गई। इस कारण अपीलांट को अपनी अपील खारिज होने का ज्ञान नहीं हो सका। अपीलांट को ज्ञान होते ही नकल प्राप्त कर श्रीमानजी के समक्ष हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी को प्रश्नगत अपील की सूचना समय पर नहीं दी गई जिस हेतु विलम्ब से प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। जानकारी होने के पश्चात हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील विप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के उपर्युक्त कथनों का विरोध करते हुये बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र की मूल अपील वर्ष 2006 में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है जिसके विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना–पत्र अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण को देरी से प्रस्तुत करने का कोई सद्भाविक कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे की प्रकरण की देरी का वास्तविक कारण जान सके। प्रार्थी द्वारा धारा 05 में भी हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में झूठे तथ्यों को अंकित करते हुए आवेदन पेश किया गया। अतः लिमिटेशन के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। बिना कोई वास्वतिक कारण के प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र लगभग 16 वर्ष देरी से पेश	

(निवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है। जिसके संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा कोई सद्भाविक कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी को प्रशनगत आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। केवल मात्र प्रार्थी की तबीयत खराब होने से लगभग 16 वर्ष का विलम्ब न्यायालय हाजा की राय में सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा हस्तगत प्रार्थना–पत्र को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अत्यधिक देरी यंथा लगभग 16 वर्षों से बिना कोई सद्भाविक कारण अवगत कराये प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो। यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/2024

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर